

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 731 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, अगस्त, 25, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय:-

Proposal of Renewal for diversion of 185.84 ha of Forest Land in favour of
M/s Northern Coalfields Limited for Coal Mining in Kakri Open Cast Coal
Mining in Sonbhadra District in the State of Uttar Pradesh
(Online No. FP/UP/MIN/29061/2017) reg.

संदर्भ:-

1-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज
नई दिल्ली का पत्र संख्या- 8-350/1987-एफ0सी0 (Vol) दिनांक- 24.05.2022

2-आपका पत्र संख्या- 3332/11-सी- FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक- 25.05.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-24.05.2022 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0-431/रेनुकूट/15-38 दिनांक 30.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की अनुपालन आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्नानुसार संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है :-

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज न दिल्ली के पत्र संख्या- 8-350/1987-एफ0सी0 (Vol) दिनांक- 24.05.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The complete compliance of the Ministry's earlier approval issued vide order No. 8-350/1987-FC dt. 30.05.1989 has not been received in this office. The State Govt. is again requested to submit the same.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराना है कि ककरी परियोजना को भारत सरकार द्वारा गैर वानिकि प्रयोग हेतु दी गयी वन भूमि में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन PARIVESH पोर्टल पर प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यू0पी0/माइंस/29061/2017 के भाग -1 के 1-5 में अपलोड किया गया है जिसकी प्रति पुनः संलग्न है।
2	The area involved is more than 40 Ha and therefore the site inspection by CF/CCF is required. The State Govt. is therefore again requested to submit the Site Inspection Report of CF/CCF.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।
3	The CDs containing the KML file, Geo-referenced Map, Topo-sheet etc. pertaining to the CA land and the	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराना है कि एन0सी0एल0 द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित 185.84 हे0 वन भूमे से

12

- 2 -

<p>185.84 Ha area proposed for renewal of lease have not been received in this office. The same are also not available on PARIVESH portal. The same are therefore required to be submitted.</p>	<p>संबंधित geo-refrenced map एवं toposheet PARIVESH पोर्टल में अपलोड किया गया है। CA land में संबंधित geo-refrenced map एवं toposheet की प्रति प्रस्ताव में पूर्व से संलग्न है। सी0 ए0 मानचित्र को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उसके के0एम0एल0 फाइल पेन ड्राइव में संलग्न है ✓</p>
<p>4 The State Govt. has intimated that the user agency has violated the provisions of FCA 1980 by leasing out 18.2608 acre Forest land. The State Govt. may therefore initiate the process of taking action against the said violation and submit report to the ministry.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराना है कि 18.2608 एकड वन भूमि के उल्लंघन के प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक- 419/11-सी दिनांक-20.08.2015 द्वारा प्रकरण प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ को संदर्भित किया गया है। प्रकरण में प्रभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ✓</p>
<p>5 The State Govt. has still not submitted the valid lease document pertaining to the instant proposal.</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व में पट्टाविलेख उपलब्ध कराया गया था जो कतिपय कारणों से अनुमोदित नहीं हो पाया। उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या- 454/81-2-2020 पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक- 28 मई 2020 द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के समस्त प्रकरणों में Transfer of property Act 1882 के तहत संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के क्रम में प्रभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से एन0सी0एल0 की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।</p> <p>उक्त अनुरोध के क्रम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी परियोजना ने अपने पत्र संख्या- ककरी/महाप्रबन्धक/वन/2020/464 दिनांक- 12.08.2020 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या- 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक- 14.07.2010 के आधार पर पट्टाविलेख के निष्पादन संबंधी कार्यवाही को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या- 33050/2010 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक- 14.07.2010 के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :-</p> <p>“ जनपद-मीरजापुर, वर्तमान में सोनभद्र जिले में दुद्धीचुआँ एवं खड़िया कोयला परियोजनाओं हेतु 1305 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या- 8-298/87-एफ0सी0 दिनांक-30.07.1990 एवं इसके क्रम में विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- एल 1319/14-3-929/87 वन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक- 04.01.1991 द्वारा 40 वर्षों हेतु लीज पर दी गयी है। उक्त आदेश के अनुपालन में पट्टाविलेख की प्रति उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी।</p>

K

		<p>पट्टाविलेख के निष्पादन के संबंध में उच्च स्तर से कुछ अभिलेखों की मांग की गयी जिसे उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा नार्दन कोल फील्ड्स लि० की दुद्धीचुओं एवं खड़िया परियोजना से अनुरोध किया गया किन्तु एन०सी०एल० के स्तर से अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या- 4021/रेनुकूट/15-39 दिनांक- 08.04.2010 द्वारा डम्पिंग कार्य पर रोक लगा दी गयी। प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट के उक्त पत्र दिनांक-08.04.2010 से शुभ होकर एन०सी०एल० द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या- 33050/2010 दाखिल किया गया। उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक- 14.07.2010 को स्थगन आदेश जारी किया गया है।</p> <p>उक्त आदेश केवल एन०सी०एल० की दुद्धीचुओं एवं खड़िया परियोजना हेतु ही लागू है इसका उल्लेख करते हुए प्रभाग द्वारा एन०सी०एल० की ककरी परियोजना से संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु एन०सी०एल० की ककरी परियोजना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त अन्तरेन आदेश दिनांक- 14.07.2010 ककरी परियोजना पर भी लागू होने का उल्लेख करते हुए संशोधित पट्टाविलेख उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जो उपरोक्त शासन द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में जारी मूल आदेश दिनांक-28.12.1989 व वर्तमान में जारी संदर्भित आदेश दिनांक- 28 मई 2020 का उल्लंघन है। उपरोक्त कारणों से पट्टाविलेख का निष्पादन नहीं हो पाया है।</p>
6	The copy of clear recommendations of CCF in part 3 and Nodal Officer in part 4 have still not been submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रकरण में पार्ट-3 पर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर द्वारा संस्तुति की गयी है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 731 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक-431/रेनुकूट/15-38 दिनांक 30.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर